ज्ञान तत्व 374

मंथन क्रमांक 85 ''मुस्लिम आतंकवाद''

पिछले कुछ सौ वर्षो से दुनियां की चार संस्कृतियो के बीच आगे बढने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। 1 भारतीय 2 इस्लामिक 3 पश्चिमी 4 साम्यवादी। भारतीय संस्कृति विचारो के आधार पर आगे बढने का प्रयास करती है जिसे ब्राम्हण संस्कृति कहा जाता है। इस्लामिक संस्कृति संगठन शक्ति के बल पर आगे बढती है जिसे छत्रिय संस्कृति कहते है। इसाई या पश्चिमी संस्कृति धन को आधार बनाती है और वैश्य संस्कृति कही जाती है। साम्यवादी संस्कृति अव्यवस्था को आधार बनाती है और शुद्र संस्कृति मानी जाती है। इन चारो संस्कृतियो मे भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति हिंसा को अंतिम शस्त्र मानती है तो इस्लामिक और साम्यवादी संस्कृति हिंसा को पहला शस्त्र मानती है। ये दोनो संस्कृतियां किसी न किसी रूप मे राजनैतिक शक्ति के साथ भी तालमेल बनाकर रखती है जबकि अन्य दो दूरी बनाकर रहती है।

उग्रवाद और आतंकवाद के बीच थोडा फर्क होता है। उग्रवाद हिंसक विचारो तक सीमित होता है। कोई प्रत्यक्ष क्रिया नही करता जबकि आतंकवाद प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होता है । वर्तमान समय मे संघ परिवार को उग्रवादी कह सकते है और आतंकवादी मुसलमानो और नक्सलवादी साम्यवाद को आतंकवादी कहा जा सकता है।

इस्लाम एक विचारधारा है और मुसलमान उसे मानने वाले। धार्मिक मुसलमान कभी न तो उग्रवादी होते है न ही आतंकवादी किन्तु संगठित मुसलमान उग्रवादी तो होता ही है आतंकवादी भी हो सकता है। आम तौर पर सूफी मत मानने वाले अधिक मात्रा मे धार्मिक होते है तो अन्य मत मानने वाले मुसलमानो मे धार्मिक कम और उग्रवादी अधिक होते है। यदि हम साम्यवाद की चर्चा करे तो साम्यवाद मे कोई भी व्यक्ति शान्तिप्रिय हो ही नही सकता। या तो उग्रवादी होगा या आतंकवादी । किन्तु साम्यवाद अब विशेष चर्चा का विषय नही है क्योकि साम्यवाद पूरी दुनिया से हट गया है और भारत मे आंशिक रूप मे नक्सलवाद के रूप मे अंतिम सांस गिन रहा है। फिर भी साम्यवादी विचारधारा के कुछ लोग अब भी बचे हुए है। सिद्ध हो चुका है कि पूरी दुनियां मे साम्यवादी सर्वाधिक चालाक होते है और मुसलमान या संघ के लोग सर्वाधिक भावना प्रधान। साम्यवादी आमतौर पर मोटीवेटर होते है तो मुसलमान या संघ परिवार के लोग मोटिवेटेड। स्वाभाविक है कि भारत का साम्यवाद अब उग्रवादी मुसलमानो के कंधो का सहारा लेकर स्वयं को आगे बढा रहा है। फिर भी अब प्राथमिकता के आधार पर नक्सलवाद या साम्यवाद की चर्चा करना व्यर्थ है। अब तो इस्लामिक उग्रवाद और आतंकवाद की ही चर्चा उचित है।

दुनिया मे जहां भी संगठित मुसलमान है वे किसी अन्य को कभी भी शान्ति से नही रहने देते क्योकि शान्त रहना उन्होने बचपन से सीखा ही नही है। उन्हे बचपन से सिखाया गया है कि कुरान ही अंतिम सत्य है और हजरत मोहम्मद ही अंतिम पैगम्बर । उन्हे यह भी बताया गया है कि संगठन ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता का एकमात्र आधार। ये पूरी तरह भावना प्रधान होते है। इसलिये ये अपनी कुरान की शिक्षाओ से अलग जा ही नही सकते। ये कभी सहजीवन मे विश्वास नही करते । इनका सहजीवन अपने संगठन तक सीमित है । इनका व्यक्तिगत जीवन संगठन प्रधान होता है । यही कारण है कि इनमे से कुछ अतिवादी लोग आतंकवाद की दिशा मे चले जाते है।

उग्रवाद को तो कुछ सीमा तक समझाया जा सकता है और सामाजिक या प्रशासनीक आधार पर डराया भी जा सकता है किन्तु आतंकवाद को सिर्फ नष्ट ही किया जा सकता है। न उन्हे समझाया जा सकता है न डराया जा सकता है। इसलिये आतंकवाद के साथ कोई अन्य तरीके का प्रयोग करना घातक होता है। दुनियां मे जहा भी संगठित मुसलमान है वे न स्वयं शान्ति से रहेगे न दूसरो को रहने देंगे। यहां तक कि यदि उन्हे लडने के लिये अन्य संस्कृतियो के लोग नही मिलेंगे तब वे आपस मे ही अपने इस्लमिक संगठनो के साथ लडेंगे किन्तु लडेंगे अवश्य। वे कभी शान्त रह ही नही सकते। सारी दुनियां अब तक साम्यवादी खतरे से निपटने मे लगी थी । इसलिये इनका विस्तार होता रहा। अब साम्यवाद के समापन के बाद पूरी दुनियां की पहली प्राथमिकता इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करने की है भले ही उसके लिये अनैतिक अमानवीय तरीको का उपयोग क्यो न करना पडे। संगठित मुसलमानो को भयभीत करना ही होगा। भले ही उसके लिये सांप का प्रयोग न करके रस्सी को ही सांप क्यो न बताना पडे। दुनियां एक जुट हो रही है। भारत और भारतीय संस्कृति इस्लामिक आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है। सबसे अधिक खतरा भारत को है इसलिये भारत को ही इस

मामले मे अधिक सावधान रहना है। भारत दुनियां की एकता मे निरंतर अपना प्रभाव बढा रहा है। आतंकवाद को रोकना पहली प्राथमिकता बनती जा रही है। पश्चिमी देशो के साथ पूरा तालमेल बनाया जा रहा है तो साम्यवादी देशो के साथ भी अच्छे सम्पर्क के प्रयास हो रहे है क्योकि संगठित इस्लाम ने अपने स्वभाव के अनुसार साम्यवादिया को भी चीन या रूस मे अशान्त कर रखा है।

हम भारत मे इस्लामिक उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे से निपटने की चर्चा करे। 70 वर्षो तक उनकी संगठन शक्ति का लाभ उठाते हुए लगभग सभी राजनैतिक दलो ने उनके साथ तालमेल किया । उक्त कालखंड मे रडार पर साम्यवाद पहले था इसलिये इस्लामिक उग्रवाद का ज्यादा महत्व नही था। अब पहली प्राथमिकता इस्लामिक कटटरवाद से निपटना है इसलिये नरेन्द्र मोदी के आने के बाद इस दिशा मे सक्रियता बढी हैं। कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विपक्षी दल भी इस दिशा मे सोचने को मजबूर हुए है। लगता है जल्दी ही कटटरपंथी मुसलमानो को इस पार या उस पार मे से एक को चुनना पडेगा। अब उन्हे दुनियां के अन्य देशो से समर्थन या सहयोग मिलने से रहा। भारत के विपक्षी दल भी अब उनकी ब्लैकमेंलिग से सतर्क हो गये है। साथ ही संघ परिवार येन केन प्रकारेण इनका मनोबल तोडने के लिये सक्रिय है। अन्य शान्ति प्रिय हिन्दू भी यह उचित समझते है कि इस्लामिक उग्रवाद को भयभीत करने के लिये संवैधानिक अथवा असंवैधानिक का विचार किये बिना समर्थन किया जाये। कुछ दिनो के लिये नैतिकता को भी किनारे रखा जा रहा है। मै जानता हूॅ कि यह बात हिन्दुत्व की मूल विचारधारा से बिल्कुल विपरीत होकर इस्लामिक विचारधारा के समकक्ष है किन्तु हिन्दुओ मे आम धारणा यही बनती जा रही है कि संगठित इस्लाम को सदा सदा के लिये समाप्त ही कर देना चाहिये भले ही कुछ अनैतिकता का सहारा क्यो न लेना पडे। आज खुले मे नमाज अथवा अलीगढ युनिवर्सिटी मे जिन्ना की मूर्ति जैसे अप्रासंगिक विषय उठाकर जन जागरण किये जाने को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अब भारतीय मुसलमानो को धर्म और संगठन मे से एक को चुनना होगा। अब न्यायपालिका से भी वामपंथी विचारो के लोग हटते जा रहे है विधायिका मे भी अब पहले की स्थिति नही बची है। कार्यपालिका भी निरंतर रूख बदल रही है। उचित है कि भारतीय मुसलमान अपनी 1400 वर्ष की जारी नीतियों पर फिर से विचार करे। मेरी अपने मुसलमान भाइयो से कुछ अपेक्षाए है । 1 वे कश्मीर का भारत मे पूर्ण विलय मान ले और कश्मीर मे टकरा रही उग्रवादी विचारधारा को बल पूर्वक कुचले जाने का आंख मूंदकर समर्थन करे। 2 वे रोहिग्या मुसलमानो का किसी भी आधार पर समर्थन करके विश्वास को खतम न होने दे। 3 वे कुरान को अंतिम सत्य मानने की धारणा को स्वयं तक सीमित रखे। उस आधार पर किसी तरह की क्रिया मे संलग्न न हो कुरान के धार्मिक अंश का अनुकरण करे तथा संगठनात्मक अंश को छोड दे। 4 संघ परिवार चाहे जितना भी उत्तेजित करने का प्रयास करे हमारे मुसलमान भाई किसी भी परिस्थिति मे जरा भी उत्तेजित न हो । किसी भी परिस्थिति मे हिन्दू मुसलमान का ध्रुवीकरण मुसलमानो के लिये घातक होगा। 5 अल्प काल के लिये शुक्रवार की नमाज मे नमाज के बाद होने वाली तकरीर से अपने को दूर कर ले। 6 संगठन की जगह सहजीवन को महत्वपूर्ण स्थान दे ।

मैं एक हिन्दू हूॅ। मै संघ परिवार की गतिविधियों और कार्य प्रणाली को कभी हिन्दूत्व की विचार धारा के साथ नही देखता। फिर भी मै मानता हूॅ कि इस्लामिक कटटरवाद को समाप्त करने मे यदि संघ परिवार कुछ अनैतिक भी करता है तो हमे चुप रहना चाहिये क्योकि नैतिकता की उम्मीद नैतिक लोगो के साथ ही करने का समय आ गया है। यदि अनैतिक लोगो के साथ कोई अनैतिक व्यवहार करता है तो हमे बीच मे नही कूदना चाहिये। वैसे तो मुस्लिम आतंकवाद पूरी दुनियां के लिये सबसे बडी समस्या है किन्तु भारत के लिये यह और भी अधिक खतरनाक है। वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल है। भारत को इस समस्या से समाधान के लिये पहल करनी चाहिये। इस्लामिक आतंकवाद और उग्रवाद के बीच एक गठजोड सरीखा है। इसलिये आतंकवाद से तो सरकार निपट रही है किन्तु इस्लामिक उग्रवाद से भी हम सब लोगो को एक जुट होकर निपटना होगा। प्रज्ञा पुरोहित असीमानंद गलत थे या नही यह प्रश्न वर्तमान समय मे अनावश्यक है सच्चाई जो हो किन्तु वर्तमान परिस्थिति मे हमे चाहिये कि हम ऐसे प्रश्नो को उठाकर समाधान को नुकसान न पहुंचावे। कश्मीर या नक्सलवाद से सरकार ठीक निपट रही है। मेरे विचार से तो और कठोरता से निपटा जाना चाहिये। जो लोग वार्ता की सलाह दे रहे है उनकी नीयत खराब है। ऐसे लोगो को कठघरे मे खडा किया जाना चाहिये। साथ ही हमे व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिये। सभी मुसलमान एक समान नही है । नरेन्द्र मोदी के बाद धार्मिक मुसलमानो की संख्या धीरे धीरे बढ रही है । उचित होगा कि हम धार्मिक मुसलमानो के साथ अच्छा व्यवहार करे। प्रयत्न करे कि हम उनके साथ सामान्य से भी अधिक अच्छा व्यवहार करे जिससे धार्मिक और संगठित मुसलमानो के बीच एक साफ साफ विभाजन रेखा दिख सके ।

मैं देख रहा हूॅ कि अब भी वामपंथ प्रभावित लोग किसी न किसी बहाने दुनियां को एक जुट होने के विरूद्ध कुछ न कुछ लिखते बोलते रहते है। ऐसे लोगो मे बडी संख्या मे तो वामपंथ प्रभावित लोग है किन्तु साथ ही कुछ उच्च नैतिकता का मापदंड रखने वाले हिन्दू भी उनकी हां मे हां मिलाते है। इस संबंध मे हमारी रणनीति साफ होनी चाहिये । हम इस मामले मे पूरी तरह भारत सरकार के हर कदम का समर्थन करते है। भले ही इस मामले मे अमेरिकन ग्रुप के साथ मोर्चा बनाने का प्रयत्न ही क्यो न हो। इस मामले मे संघ परिवार यदि उचित कदम उठाता है तो हम उसका समर्थन करे किन्तु यदि संघ परिवार कोई अनुचित कदम उठाता है जो अनैतिक और अन्यायपूर्ण है तब भी उस परिस्थिति मे हमे चुप रहना चाहिये क्योकि विशेष परिस्थिति मे शत्रु का शत्रु मित्र होता है और इस्लामिक आतंकवाद हमारा सबसे बडा शत्रु है।

मै मानता हूॅ कि यदि हम सोच समझकर आगे बढे तो भारत से इस्लामिक आतंकवाद सदा सदा के लिये समाप्त होना संभव है।

मंथन क्रमांक 86 ''जालसाजी धोखाधडी''

किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे धोखा देकर प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसे जालसाजी कहते है। जालसाजी धोखाधडी ठगी विश्वासघात आदि लगभग समानार्थी शब्द होते है । बहुत प्राचीन समय से धोखाधडी का उपयोग होता रहा है। यहां तक कि देवताओ ं तक ने कभी जनहित मे तो कभी अपने व्यक्तिगत हित मे जालसाजी का उपयोग किया। जालसाजी धोखाधडी पूरी तरह अनैतिक कृत्य भी माना जाता है और आपराधिक कृत्य भी । दोनो के बीच की सीमा रेखा तय करना बहुत कठिन कार्य है। वैसे मिलावट और कम तौलना जैसे अपराध भी जालसाजी के साथ ही जुडे हुए होते है।

जालसाजी का पूरी दुनियां मे बहुत व्यापक प्रभाव है। व्यक्ति दो समूहो मे बटे हुए है। 1 भावना प्रधान 2 बुद्धि प्रधान। भावना प्रधान लोग शरीफ माने जाते है और बुद्धि प्रधान लोग चालाक । चालाक लोग शरीफ लोगो को धोखा देकर उनसे या उनको ठगने का प्रयास करते है तो बेचारे शरीफ लोग ऐसी ठगी मे फसकर अपना नुकसान उठाते है। धार्मिक मामलो मे ठगी का व्यापक उपयोग होता है। संतो का चोला पहनकर तथा आध्यात्म की भाषा बोलकर धूर्त लोग आसानी से धर्म प्रधान लोगो को ठग लिया करते है। धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यो के नाम पर ठगी का प्रयास आमतौर पर पूरे भारत मे प्रचलित है। राजनीति मे तो जालसाजी का व्यापक उपयोग होता ही आया है। पुराने जमाने मे भी विष कन्याओ के माध्यम से अनेक गंभीर घटनाएं होती हुई पायी गई है । वर्तमान समय मे भी राजनीति मे धोखाधडी का खुला उपयोग होता है। यहां तक कि राजनीति मे तो इस कार्य को कूटनीति का नाम देकर सफलता का मापदंड बता दिया जाता है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पूरे भारत मे लोग नौकरी के नाम पर ठगे जाते है। सोना–चांदी क्रय–विक्रय अथवा सोना चांदी के साफ सफाई के नाम पर ठगी गांव गांव तक प्रचलित है। भूत प्रेत के नाम पर भी ठगने वालो का कोई अभाव नही है। यहां तक कि नकली नोट, नकली स्टांप टिकट या नकली रेल की टिकट भी आमतौर पर बिकती रहती है। अच्छे अच्छे लोग यहां तक कि कभी कभी बैक भी नकली नोट को नही पहचान पाते। जमीनो के खरीद बिक्री मे आप धोखाधडी का व्यापक उपयोग देख सकते है। दूसरे देश के लोग दूसरे देश मे अपने जासूस भेजकर उनसे जो जानकारी इकठ्ठी कराते है उसमे भी कई बार जालसाजी और धोखाधडी का उपयोग होता है। क्या चीज असली है और क्या नकली यह पता लगाना भी कठिन होता जा रहा है। नकली इतिहास लिखा जा रहा है तो नकली धर्म ग्रन्थ तक प्रचारित हो रहा है। आमलोगो को ठगने के लिये असत्य को बार बार का सत्य के समान स्थापित किया जा रहा है। पूरे भारत मे मंहगाई गरीबी, दहेज, महिला उत्पीडन आदि का ऐसा झूठा आभास करा दिया गया है कि भारत का हर नागरिक इन अस्तित्वहीन समस्याओ से स्वयं को पीडित समझ रहा है। असत्य को बार बार बोलकर उससे लाभ उठाने वाले आपस मे भी प्रतिस्पर्धा करते दिखते है। चालाक लोग आपस मे भी एक दूसरे को ठगते रहते है । हर बुद्धि प्रधान व्यक्ति भावना प्रधान व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर ठग लेना अपनी खास विशेषता मानता है। अधिक बुद्धि प्रधान कम बुद्धि प्रधान को ठग लेना अपनी सफलता मानता है।

यदि हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर धोखाधडी जालसाजी की समीक्षा करे तो जो लोग ब्राम्हण प्रवृत्ति के है अर्थात विचारक है उन्हे किसी भी परिस्थिति मे कूटनीति का सहारा नही लेना चाहिये। असत्य बोलना या धोखा देना विचारको के लिये पूरी तरह वर्जित है चाहे वह धोखा जनहित मे ही क्यो न हो। किन्तु जब राजनीति की चर्चा शुरू होती है तो राजनीति मे कूटनीति को मान्य किया जाता है। अर्थात एक सीमा तक शत्रु को धोखा दिया जा सकता है। यह

अलग बात है कि विपक्षी विरोधी और शत्रु की अलग अलग पहचान होनी चाहिये किन्तु शत्रु को धोखा देना योग्यता का मापदंड होता है। भगवान कृष्ण अथवा शिवा जी का उदाहरण स्पष्ट है। अन्य भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते है जिसमे राजाओ ने जनहित मे जालसाजी और धोखाधडी का सहारा लिया । चाणक्य की तो सारी सफलता ही कूटनीति के दावपेंच पर निर्भर रही है। वैश्य प्रवृत्ति के लोगो को कूटनीति का सहारा लेना अनैतिक माना जाता है । लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मे आंशिक रूप से कूटनीति का उपयोग मान्य परंपरा है। श्रमजीवियो को किसी प्रकार की कोई जालसाजी धोखाधडी या ठगी की कोई आवश्यकता नही पडती। हो सकता है कि श्रमजीवी दूसरो के द्वारा ठगे भले ही जाते है किन्तु वे किसी को ठग भी नही सकते और वैसा करना उनके लिये उचित भी नही हैं

अपने व्यक्तिगत हित मे जालसाजी धोखाधडी ठगी या विश्वासघात हमेशा अनैतिक ही माने जाते है चाहे वह कोई भी क्यो न करे। किन्तु जनहित मे यदि ब्राम्हण छोडकर शेष लोग इनका उपयोग करते है तो इस उपयोग को अनैतिक नही माना जाता। इसलिये जालसाजी और धोखाधडी की भी परिस्थिति अनुसार समीक्षा करके उनकी सीमाए समझनी चाहिये। आवश्यक नही है कि हर धोखाधडी अनैतिक ही हो। साथ ही आवश्यक नही है कि हर प्रकार की धोखाधडी नैतिक ही हो । प्रायः हर आदमी अपने किये गये अनैतिक कार्य को नैतिक सिद्ध करने का प्रयास करता है। किन्तु समाज के विचारक वर्ग का कर्तब्य है कि वह ऐसी अनैतिकता को नैतिक स्वरूप प्रदान न होने दे ।

स्पष्ट है कि इस प्रकार के किसी भी अनैतिक कार्य मे उसकी नीयत देखी जाती हैं। यदि उसकी नीयत खराब है तो किसी भी प्रकार की जालसाजी धोखाधडी अनैतिक और आपराधिक कार्य माना जाना चाहिये। किन्तु यदि नीयत ठीक है तब ऐसा कार्य अनैतिक नही भी मान सकते है।

जालसाजी और धोखाधडी पर नियंत्रण बहुत कठिन कार्य है। क्योकि बचपन से ही बच्चो को डराने के लिये भूत या पुलिस का झूठा सहारा लिया जाता है और धीरे धीरे उसके संस्कार मे असत्य और चालाकी का समावेश शुरू हो जाता है। इसलिये उससे बचना बहुत कठिन कार्य है।

आज दुनियां का प्रत्येक व्यक्ति दुहरा चरित्र जी रहा है। हर भावना प्रधान व्यक्ति किसी को धोखा देना गलत समझता है किन्तु उसमे स्वयं की इतनी क्षमता नहीं कि वह दूसरों द्वारा धोखा देने से स्वयं को बचा सके। वैसे तो धर्म के नाम पर बहुत अधिक जालसाजी और ठगी होती रही है किन्तु सबसे ज्यादा जालसाजी और ठगी राजनीति के नाम पर हुई है। धर्म के नाम पर तो सिर्फ व्यक्ति ठगे जाते है समाज नही किन्तु राजनीति सम्पूर्ण समाज को ही गुलाम बना लेती है। धर्म के नाम पर किसी को ईश्वर बनाकर उसके प्रति श्रद्धा पैदा की जाती है किन्तु राजनीतिक व्यवस्था तो एक संविधान बनाकर उसे भगवान सरीखे मानने के लिये संपूर्ण समाज को बाध्य कर देती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अन्य किसी प्रकार की धोखाधडी की तुलना मे राजनैतिक व्यवस्था सबसे अधिक विकृत हो गई है। सारी दुनिया शुरू से जानती रही है कि साम्यवादी धोखा देने के मास्टर माइन्ड होते है। जहां ये कमजोर होते है वहां मानवाधिकार की सारी चिंता करने का ठेका सिर्फ साम्यवादियों के पास ही सुरक्षित रहता है किन्तु जहां वे ताकतवर हुए वहां मानवाधिकार नाम की कोई चीज रही ही नहीं। साम्यवाद का पूरा इतिहास जानते हुए आज भी बडी संख्या मे लोग इनसे धोखा खाते है। दूसरी बात यह भी है कि हर आदमी धोखा खाने के मामले मे अक्षम होते हुए भी स्वयं को इतना सक्षम समझता है कि वह किसी से धोखा खा नही सकता। वह शराफत का ऐसा प्रबल पक्षधर बन जाता है कि वह कभी समझदार बनने का प्रयास ही नही करता। हर धूर्त शराफत का प्रबल समर्थक होता है और हर शरीफ तो शराफत का पक्षधर होता ही है इसलिये इस समस्या से निपटना और भी कठिन है। समस्या बहुत विकराल है । समाधान कठिन है। एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है कि हर आदमी शराफत छोडकर समझदारी की ओर बढने का प्रयास करे तभी समस्या पर नियंत्रण संभव है। समाज को धूर्तता ठगी चालाकी जालसाजी से बचाना भी आवश्यक है । इसके लिये कानूनी प्रावधान तो है ही किन्तु समाज मे भी जन जागृति आवश्यक है। समाज मे नैतिकता का पक्ष प्रबल होना चाहिये और अनैतिक लोगो की पहचान का तरीका खोजा जाना चाहिये। यदि समाज के लोग आपस मे मिल बैठकर विचार करने की आदत डाले तो कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। वैसे इसके लिये चौतरफा प्रयास करने की आवश्यकता है।

मंथन क्रमांक 87 ''पर्दा प्रथा''

कुछ प्राकृतिक सिद्धान्त है जो समाज द्वारा मान्य है।
1 दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति सभी गुणो मे कभी एक समान नही होते। सबमे कुछ न कुछ असमानता अवश्य होती है।
2 संपूर्ण मनुष्य जाति मे महिला और पुरूष की जन्मदर लगभग बराबर होती है। किसी प्रकार का असंतुलन होने पर प्रकृति स्वयं संतुलन बना लेती है।
3 प्रत्येक महिला और पुरूष के बीच एक प्राकृतिक आकर्षण होता है जिसकी तुलना लोहा और चुम्बक से होती है।
4 प्रत्येक व्यक्ति मे लोहा और चुम्बक दोनो की मात्रा अवश्य होती है भले ही वह अलग अलग और असमान होती है चाहे महिला हो या पुरूष।
5 सवर्णो या धनवानो मे यौन शुचिता को आर्थिक प्रगति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता हैं जबकि गरीबो और अवर्णो मे आर्थिक आवश्यकता को यौन शुचिता से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
6 आजतक यह निश्चित नही हो सका कि सैद्धान्तिक रूप से महिला और पुरूष के बीच दूरी घटनी चाहिये या बढनी चाहिये। दूरी का घटना बढना व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पारिवारिक वातावरण, तथा सामाजिक व्यवस्था के सम्मिलित मापदंड से बनती है।

स्पष्ट है कि महिला और पुरूष के बीच यदि दूरी घटेगी तो यौन शुचिता से आंशिक समझौता करना ही पडेगा । यदि यौन शुचिता अधिक महत्वपूर्ण है तो दोनो के बीच दूरी बढाना आवश्यक है। इसीलिये समाज मे कभी भी यह नियम नही बना कि दोनो के बीच दूरी घटनी चाहिये या बढनी चाहिये। सिद्धान्त रूप से यह स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अथवा परिवार को प्राप्त है। कोई अन्य स्वतंत्रता मे बाधक नही बन सकता। स्त्री और पुरूष के बीच आकर्षण इतना अधिक तीव्र होता है कि उसकी गति प्रकाश या बिजली की गति से भी अधिक मानी जाती है। इस आकर्षण को कभी बल पूर्वक नही रोका जा सकता। यह अवश्य है कि इसे परिस्थिति अनुसार अनुशासित किया जा सकता है। इसी अनुशासन की प्रथा के रूप मे विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित हुई। पर्दा प्रथा इस तीव्र आकर्षण के बीच एक कुचालक का काम करती है। इस तरह पर्दा प्रथा कोई कुव्यवस्था नही है । न ही कोई सामाजिक कुरीति है क्योकि यह बाध्यकारी नही है, नियमानुसार नही है और कानून सम्मत भी नही है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार स्वैच्छिक है।

कुछ लोगो का यह मानना है कि प्राचीन समय मे पर्दा प्रथा नही थी बल्कि यह मुगल काल से भारत मे आयी क्योकि मुगलो मे पहले से पर्दा प्रथा थी और मुगल अन्य महिलाओ पर तुलनात्मक रूप से अधिक लालायित होते थे। इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से पर्दा प्रथा विकसित हुई। मेरे विचार से यह धारणा गलत है क्योकि मुगलो के पूर्व भी उच्च वर्ण मे यह धारणा थी कि बालिग या वयस्क भाई–बहन, मां–बेटा अथवा जेष्ठ और बहू भी कभी एकांत वास न करे न ही कभी अनावश्यक एकांत बात चीत करे बल्कि दोनो के बीच एक संतुलित दूरी रहनी चाहिये। स्पष्ट है कि यही से पर्दा प्रथा का अस्तित्व समझ मे आता है।

यौन शुचिता के आधार पर ही समाज मे यह धारणा विकसित हुई कि उच्च वर्ग की महिलाओ को बिना किसी सुरक्षा के अकेले मे बाहर नही निकलना चाहिये। उसके साथ साथ उचित पर्दा और सामान्य ड्रेस की भी सलाह दी जाती थी। उच्च वर्ग के बीच महिलाओ को कभी रोजगार मे लगाना भी अच्छा नही माना जाता था क्योकि पर्दा प्रथा के कारण उनका रोजगार करना भी कठिन था तथा बच्चो की जन्मदर अधिक होने के कारण उन्हे बाहर निकलने के अवसर भी कम मिलते थे। परिस्थितियां बदली जब भारत मे पश्चिम की गुलामी आयी तब यहां यौन शुचिता को कम महत्व दिया जाने लगा। महिला और पुरूष के बीच दूरी घटायी गई । बच्चो की जन्म दर कम की गई । महिलाओ को रोजगार मे लगाया गया। जब भारत साम्यवाद की तरफ बढा और साम्यवाद ने वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष को अपना प्रमुख आधार बनाया, तब भारत मे महिला सशक्तिकरण का एक नया प्रयोग शुरू हुआ। इस तरह पर्दा प्रथा जो पहले स्वैच्छिक थी वह समाज सुधार के नाम पर एक नये व्यवासाय का आधार बन गयी। योजना पूर्वक पर्दा प्रथा को एक सामाजिक कुरीति के रूप मे प्रचारित किया गया। साथ ही महिला और पुरूष के बीच की दूरी भी घटाई गई। स्वाभाविक है कि ये दोनो प्रयत्न पश्चिम की संस्कृति के भी अनुकूल थे और साम्यवादी लक्ष्य की ओर भी बढाने वाले थे। यह नया व्यवसाय राजनैतिक आश्रय पाकर खूब फला फूला । अब स्वतंत्रता के बाद भी भारत इन दोनो बीमारियों से ग्रस्त है। अब भी पर्दा प्रथा को एक बुराई के रूप मे प्रचारित किया जाता है और महिला पुरूष के बीच दूरी कम करना भी एक सामज सुधार का कार्य

माना जाता है । किन्तु इसके साथ साथ इसमे होने वाले दुष्परिणामो को भी बढा चढाकर एक गंभीर समस्या के रूप मे इस तरह पेश किया जाता है कि साम्यवादियो की एक मात्र इच्छा वर्ग संघर्ष से भारत के महिला और पुरूष किसी भी रूप मे बच न सके। मै किसी भी रूप मे पर्दा प्रथा का समर्थक नही हूॅ । मै महिला और पुरूष के बीच दूरी घटाने या बढाने मे से भी किसी एक का पक्षधर नही हूॅ । मेरे विचार मे प्रत्येक व्यक्ति परिवार या समाज को यह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे इस संबंध मे अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार निर्णय कर सके। किसी को यौन शुचिता की अपेक्षा धन की अधिक आवश्यकता है तो वह धन का उपयोग कर सकता है और किसी को यौन शुचिता महत्वपूर्ण लगे तो वह धन का मोह छोड सकता है। अपने अपने निर्णय की स्वतंत्रता होनी चाहिये। महिला और पुरूष के बीच दूरी या पर्दा प्रथा के मामले मे भी परिवारो को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। बलात्कार के गंभीर अपराधो को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार के महिला पुरूष संबंधो पर राज्य को कोई कानून नही बनाना चाहिये। यहां तक कि छेडछाड की घटनाएं भी यदि सामाजिक नियंत्रण से बाहर न हो तब तक सरकारो को हस्तक्षेप नही करना चाहिये। यह नही हो सकता कि महिलाएं जान बूझकर महिला पुरूष के बीच की दूरियों को घटाती जाये और उसके स्वाभाविक आकर्षण रूपी परिणाम का दोष एक पक्ष पर डालते जाये। यह उचित नही है । मेरे विचार से पर्दा प्रथा एक पुरानी व्यवस्था है जिसमे परिस्थिति अनुसार सुधार किया जा सकता है किन्तु ऐसा सुधार स्वैच्छिक होना चाहिये । किसी कानून के आधार पर नही किसी अभियान के आधार पर नही।

सामयिकी

मै एक आस्थावान हिन्दू हूॅ और गांधी को स्वामी दयानंद के बाद का सर्वश्रेष्ठ महापुरूष मानता हूॅ। मेरा सर्वोदय और संघ परिवार से निकट का संबंध है यद्यपि दोनो एक दूसरे के शत्रुवत है। कुछ मुददो पर मेरी दोनो से मत भिन्नता रही है। संघ परिवार येन केन प्रकारेण गांधी हत्या का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। संघ कार्यकर्ता गोडसे की चर्चा करते समय अंत मे किन्तु परन्तु अवश्य लगाता है जबकि मै गोडसे के कार्य को पूरी तरह अवांछनीय मूर्खतापूर्ण और निन्दनीय मानता हूॅ। मै तो गोडसे के कार्य का परोक्ष समर्थन भी निन्दनीय मानता हूॅ। इसी तरह मेरे सर्वोदयी मित्र संघ परिवार का विरोघ करने के नाम पर नक्सलवाद तथा मुस्लिम आतंकवाद तक का समर्थन करते है। मेरे सर्वोदयी मित्र प्रोफेसर गिलानी की रिहाई पर उन्हे सम्मानित करते है तो अभी अभी पुलिस द्वारा मारे गये पचास नक्सलियो के प्रति अप्रत्यक्ष सहानुभूति व्यक्त करते है। मुझे आश्चर्य है कि एक विदेशी शासक माओ के हिंसक अनुयायी भारत मे अहिंसा के पुजारी गांधीवादियों की सहानुभूति कैसे प्राप्त कर लेते है। मै आश्वस्त हूॅ कि चाहे मुस्लिम आतंकवाद हो अथवा नक्सली हिंसा कोई भी समझदार व्यक्ति इनका कभी समर्थन नही कर सकता किन्तु अंघ संघ विरोध तथा वामपंथियो से प्रभावित सर्वोदयी इन अवांछनीय हिंसक प्रयासो तक का समर्थन करते रहते है।

मैं सार्वजनिक जीवन मे शत प्रतिशत अहिंसा का पक्षधर हूॅ साथ ही मै सरकार का यह दायित्व समझता हूॅ कि वह हिंसक गतिविधियो से समाज की सुरक्षा के लिये आवश्यक बल प्रयोग करे । पिछले कई वर्षो से कांग्रेस सरकार की ढूलमुल नीति के कारण नक्सलवाद बढा । अब नीतियां बदली है। समाज का काम हृदय परिवर्तन होता है और जो फिर भी नही मानता उसे नष्ट करना सरकार का कर्तब्य है।यदि गुमराह लोगो द्वारा की गई हिंसा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई तो गोडसे भी तो गुमराह ही था। इसलिये दो भिन्न तर्क उचित नही । मेरे दोनो मित्र भले ही भिन्न भिन्न घटनाओ मे भिन्न भिन्न तर्क रखे किन्तु मेरे विचार से न गोडसे के कार्य का किसी प्रकार समर्थन उचित है न नक्सलवाद का।

सामयिकी

कसडोल, छत्तीसगढ की एक घटना के अनुसार

पति की प्रताडना से परेशान होकर शादीशुदा बेटी घर बैठी है। उसे ससुराल मे जलाने की कोशिश हुई तो मामला पुलिस तक और फिर कोर्ट कचहरी तक जा पहुॅचा । इसी से नाराज होकर समाज ने विवाहिता के पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिय। परिवार मे दो और बेटियां शादी के लायक हो गई है। लेकिन बहिष्कार के चलते रिश्ते नही आ रहे । इससे परेशान उनके माता पिता समाज प्रमुख के पास न्याय मांगने पहुचे तो जवाब मिला कि पहले केश वापस लो तभी बहिष्कार खत्म होगा । यह सदमा मां बर्दाश्त नही कर सकी । वह बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई।

समाजिक बहिष्कार के दंश ने एक मां की जान ले ली। कसडोल के समीपस्थ ग्राम कटगी निवासी फिरतराम देवांगन की तीन बेटियां है। उनमे से एक की शादी हो चुकी है लेकिन पति की प्रताडना से परेशान होकर घर बैठी है। अन्य दो बेटियां भी शादी के योग्य है। लेकिन सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने के कारण लडके वाले देखने नही आ रहे थे। इसी से परेशान होकर 4 मई को पिता बेटियों सहित पूरे परिवार के साथ देवांगन समाज के प्रमुख (मेहर) कुंज राम के घर निवेदन करने गये थे कि हमे भी समाज मे शामिल कर ले। क्योकि समाज से बहिष्कृत रहने से लडके वाले उनकी लडकी के लिये रिश्ता लेकर नही आ रहे हैं इस पर समाज प्रमुख ने कहा कि पहले न्यायालय मे जो प्रकरण चल रहा है , उसे वापस ले लो फिर समाज मे शामिल कर लेंगे। यह कहकर उन्हे घर से निकल जाने के साथ धक्का–मुक्की भी की । इसके बाद पीडित पिता परिवार सहित वापस आ रहा था कि रास्ते मे पत्नी देवमती देवांगन अचानक गिरकर बेहोश हो गई। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, जहां डां0 शशि जायसवाल ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे ए एस आई एच सी जाधव ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवा केस दर्ज किया है।

पूरी घटना को इस तरह प्रस्तुत किया गया जैसे मृतक महिला के पूरे परिवार के साथ पूरा स्थानीय समाज मिलकर अत्याचार कर रहा हो। आजकल महिला सशक्तिकरण के नाम पर परम्पाए और समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का पूरे देश मे एक फैशन चल पडा है। इस घटना को भी आधार बनाकर मानवाधिकारवादी आगे आने लगे । एक परिवार के पति पत्नि मे विवाद होता है। बिना जांच किये यह कैसे मान लिया गया कि पति गलत था? क्या पत्नि गलत नही हो सकती? गांव की पंचायत होती है । पंच लोगो ने कुछ निर्णय दिये और न मानने पर महिला के परिवार का बहिष्कार किया । क्या गांव के भी सब लोग गलत थे जिन्होने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या किसी समूह को किसी व्यक्ति का बहिष्कार करने का भी अधिकार नही होगा? प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह किसी भी अन्य का किसी भी सीमा तक बहिष्कार कर सकता है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति समूह को भी प्राप्त है। यह स्वतंत्रता कैसे छीनी जा सकती है। दुर्भाग्य है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमारे कानून बनाने वाले तथा समाज व्यवस्था के कुछ पेशेवर ठेकेदार अब समाज के बहिष्कार के अधिकार को भी छीनने का प्रयास कर रहे है। एक समय था जब मुसलमानो मे महिलाओ की भूमिका को आधा माना जाता था। उस समय भी भारत मे सबको समान अधिकार प्राप्त थे। अब एक नयी व्यवस्था आ रही है जिसमे महिलाओ को पूरूषो की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय बनाने का प्रयास हो रहा है। अधिकारो के मामले मे सब समान होने चाहिये। यह नही हो सकता कि महिला समूह सही होता है या पुरूष।

स्थानीय समाज ने यदि किसी को केश वापस लेने की सलाह दी तो यह किसी भी आधार पर गलत नही कहा जा सकता। सलाह मानना न मानना उनकी स्वतंत्रता है और न मानने पर बहिष्कार करना समाज की स्वतंत्रता । यदि इसके कारण उसकी दो बहने अविवाहित है तो क्या अब समाज के लोग इसके लिये दोषी माने जायेगे। महिला सशकितकरण के नाम पर वर्ग विद्वेष फैलाने का जो प्रयत्न हो रहा है उसपर गंभीर विचार मंथन की आवश्यकता है। मै तो इस मत का हूॅ कि चाहे महिला हो या पूरूष सबके अधिकार समान हो । सबका महत्व समान हो साथ ही समाज की सामाजिक गतिविधियों पर सरकार का कोई अंकुश न हो। सरकार स्वयं को समाज से भी उपर मानने की भूल न करे।

सामयिकी

जो काम जान बूझकर बुरी नीयत से किये जाये वही अपराध होते है, अन्य नही । यदि पूरे भारत की कुल आबादी का आकलन करे तो अपराधियो की संख्या एक प्रतिशत से भी कम हो सकती है। इसमे भी हिंसा और मिलावट या जालसाजी करने वाले का प्रतिशत अधिक होता है, जबकि चोरी डकैती करने वालो का कम। बलात्कार तो और भी बहुत कम होते है । अपराध रोकने के लिये दो अलग अलग प्रयत्न होते है। 1 समाज द्वारा हृदय परिवर्तन अथवा अपमान का भय। 2 राज्य द्वारा दंड का भय। समाज को अपना कार्य अपनी सीमाओ मे रहकर करना चाहिये। और राज्य को अपनी सीमाओं मे । दुर्भाग्य से भारत मे समाज अपनी सीमाए तोडकर अपराध नियंत्रण के लिये दंड का उपयोग करने का अभ्यस्त हो रहा है तो दूसरी ओर राज्य अपनी सीमाए तोडकर हृदय परिवर्तन या अपराधियो मे सुधार का कार्य करता है। राज्य का काम अपराधियो मे सुधार करना नही है किन्तु ये हमेशा ही सुधार का कार्य करने का प्रयास करता है। राज्य शराब बंदी गो हत्या बंदी छुआछूत उन्मूलन गरीबी उन्मूलन शिक्षा का विस्तार जैसे अनावश्यक कार्यो को बढचढ कर करता है दूसरी ओर राज्य लोगो को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये हथियार के लाइसेंस देता है अथवा अपने शहर मे पहरा करने की सलाह देता है। शर्म की बात है कि हमारी पुलिस रात को गस्त करते समय जागते रहो की आवाज लगाती है जबकि राज्य को

यह घोषणा करनी चाहिये कि लोग सुख की नींद सोवे। किसी प्रकार के अपराध से उन्हे चिंता करने की आवश्यकता नही है।

समय आ गया है कि अब समाज अपनी सीमाए समझे और राज्य अपनी। यदि दोनो ने अपनी अपनी सीमाओ का उलंघन किया तो वर्तमान अव्यवस्था मे कोई निर्णायक बदलाव कठिन दिखता है। 99 प्रतिशत आबादी एक प्रतिशत अपराधियो पर नियंत्रण न कर सके यह संभव नही किन्तु 99 प्रतिशत लोगो की विपरीत रणनीति के कारण एक प्रतिशत अपराध समाज के लिये सिरदर्द बने हुए है।

सामयिकी

लम्बे समय से दुनियां की अर्थ व्यवस्था श्रम शोषण के आधार पर अपनी योजनाएं बनाती रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत भी उनकी नकल करता रहा । भारत की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था मे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान के विरूद्ध पूंजीपति शहरी बुद्धिजीवी किसानो के उत्पादन तथा उपभोग की सभी वस्तुओ पर भारी कर लगाकर आवागमन या संचार माध्यमो को सस्ता करने पर खर्च किया गया। शिक्षा का बजट लगातार बढाया गया और पूर्ति के लिये रोटी कपडा मकान दवा जैसी मूल भूत आवश्यक वस्तुओ पर भारी कर लगाये गये।

आज भारत की सभी आर्थिक समस्याओ का मुख्य कारण डीजल पेट्रोल की बढती खपत के साथ जुडा है। कृत्रिम उर्जा की बढी खपत पर्यावरण प्रदूषण बढाती है, विदेशी आयात बढाने के लिये मजबूर करती है, श्रम की मांग और मूल्य बढने नही देती, ग्रामीण उधोग धंधे खत्म करती है। यह भी निर्विवाद है कि कृत्रिम उर्जा के मंहगा होने से उसकी खपत घटती है, श्रम की मांग और मूल्य बढता है, ग्रमीण उधोग उन्नति करते है, पर्यावरण प्रदूषण घटता है। फिर भी भारत मे कोई सरकार इतनी हिम्मत नही कर पा रही कि वह सीधे सीधे डीजल पेट्रोल का मूल्य ढाई गुना करके भारत की सभी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पा जावे। उसे डर लगता है शहरी, बुद्धिजीवियो, पूंजीपतियों के संगठित आक्रोश का। डीजल पेट्रोल की थोडी सी मूल्य वृद्धि होते ही सभी श्रम शोषक एक स्वर से उसके विरूद्ध चिल्लाना शुरू कर देते है। अमीरो के एजेन्ट बुद्धिजीवी मीडिया कर्मी तथा चैनल वाले एक स्वर से उसके विरूद्ध अभियान छेड देते है। विपक्ष इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है और सरकार डरकर मूल्य वृद्धि से राहत की योजना बनाने लगती है। अब इस समस्या से निपटने का अभियान छिडना चाहिये। श्रम शोषको के विरूद्ध ग्रामीणो गरीबो श्रमजीवियो कृषि उत्पादको का एक मजबूत प्रेशर ग्रुप बनना चाहिये जो कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि के लिये सरकार पर दबाव बना सके तथा डीजल पेट्रोल के बढते आयात के विरूद्ध जनमत खडा कर सके।

लोकतंत्र रक्षक सेनानी अर्थात मीसाबंदियों से एक अपेक्षा

तानाशाही और लोकतंत्र के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा है कि तानाशाही मे शासक का संविधान होता है तो लोकतंत्र मे संविधान का शासन। आदर्श लोकतंत्र लोक नियंत्रित तंत्र होता है और तानाशाही मे तंत्र नियंत्रित लोक । संसदीय लोकतंत्र एक बीच का मार्ग है जिसमे लोकतंत्र लोक नियुक्त तो है किन्तु लोक नियंत्रित नहीं।

अब तक पूरी दुनियां मे कहीं भी आदर्श लोकतंत्र की शुरूआत नही हुई है। भारत भी ऐसा ही एक देश है जहां लोक नियुक्त तंत्र की एक विकृत प्रणाली सक्रिय है । भारत मे भी संसदीय लोकतंत्र है जहां लोक तंत्र को नियुक्त तो कर सकता है किन्तु नियंत्रित्रत नही । इसके विपरीत नियुक्ति के बाद तंत्र ही लोक को नियंत्रित या संचालित करता है।

महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की परिभाषा बताई थी लोक नियंत्रित तंत्र । गांधी हत्या होते ही हमारे देश के राजनेताओ ने उसे बदलकर लोक नियुक्त कर दिया। उन्होने चुपके से संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार तंत्र तक सीमित करके लोक की भूमिका को शून्य कर दिया। तंत्र के एक भाग विधायिका ने धीरे धीरे न्यायपालिका को कमजोर करके संविधान संशोधन की भूमिका अपने पास समेट ली। लोकतंत्र की एकमात्र व्याख्या संसदीय तानाशाही के रूप मे हो गई क्योकि संविधान संशोधन पर उसका असीमित अधिकार हो गया । न्यायपालिका ने उन्नीस सौ तिहत्तर मे केशवानंद भारती प्रकरण के माध्यम से लोकतंत्र की परिभाषा बदली और व्याख्या की कि लोकतंत्र की व्याख्या न्यायालय ही कर सकता है । इंदिरा जी के कार्यकाल मे परिभाषा फिर बदली। लोकतंत्र का अर्थ हुआ जो इंदिरा कहे वह लोकतंत्र। इंदिरा जी के बाद जय

प्रकाश जी ने सहभागी लोकतंत्र का विचार रखा जो तंत्र ने नही माना। निकट भविष्य मे यह भी संभव है कि संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की एक नई परिभाषा बन जावे कि जो कुछ मोदी जी कहे वही लोकतंत्र।

हम आप सबने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिये लम्बे समय तक जेल काटी, यातनाएं सही । लोकतंत्र मरते मरते बचा। अब कोई प्रशासक एकाएक लोकतंत्र की हत्या नही कर सकेगा। किन्तु गांधी या जय प्रकाश की लोक नियंत्रित तंत्र की परिभाषा आज भी कल्पना से दूर है। आज भी भारत मे यह स्पष्ट नही है कि लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है अथवा लोकतंत्र की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान संशोधन मे तंत्र की अधिकतम सीमाएं क्या है तथा संविधान संशोधन मे लोक की भूमिका कितनी और कैसे है। हमारा संघर्ष सहभागी लोकतंत्र अर्थात लोक स्वराज्य के लिये था जिस संघर्ष का नेतृत्व करने के निमित्त हमे लम्बे समय तक यातनएं दी गई।

नई सरकारे यातनाओं के बदले कुछ छोटी मोटी और अपर्याप्त सुविधाए देकर हमारी तकलीफो को कम करने का प्रयास करती रहती है किन्तु आदर्श लोकतंत्र की दिशा मे एक कदम भी आगे नही बढाना चाहती। संविधान संशोधन मे लोक की प्रत्यक्ष भूमिका हो तथा संविधान संशोधन परिवर्तन मे तंत्र का ही अंतिम अधिकार न हो यह आदर्श लोकतंत्र है जो लडाई चौहत्तर मे शुरू हुई थी और आज तक जारी है।

हम जानते है कि हमारे लोकतंत्र रक्षक सेनानी शरीर से वृद्ध हो चुके है तथा आर्थिक आधार पर भी टूट चुके है किन्तु लोकतंत्र की रक्षा की भावना आज भी उनके मन मे कायम है । जब जेलो की लाठियां उनके मनोबल को नही बदल सकी तो वृद्धावस्था और गरीबी तो उनका मनोबल तोड ही नही सकती। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र की राह पकडनी चाहिये तथा संविधान संशोधन की वर्तमान व्यवस्था मे लोक की भी प्रत्यक्ष भूमिका होनी चाहिये इस आधार पर देश भर मे जारी जन जागरण अभियान के नेतृत्व तथा मार्ग दर्शन मे लोक तंत्र रक्षक सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिये।

हम चाहते है कि हमारे ये बूढे अनुभवी घायल शेर इस जनमत जागरण का मार्ग दर्शन करे सामूहिक नेतृत्व के लिये आगे आवे तथा आदर्श लोकतंत्र की दिशा मे एक और कदम आगे बढावे।

निवेदक
बजरंग मुनि

बलात्कार या डकैती की एक समीक्षा

हम बलात्कार या डकैती की गंभीरता पर चर्चा करते रहे । हम मंथन के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आवश्यक नहीं कि मेरा कथन ठीक हो या गलत ही हो किन्तु अधिकांश साथी मेरे कथन से असहमत रहे। इस विषय पर भविष्य मे और विस्तृत चर्चा संभव है।

बलात्कार और डकैती गंभीर और दण्डनीय अपराध होते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों मे गंभीरता अलग अलग हो सकती है किन्तु समान परिस्थिति मे कौन अपराध अधिक गंभीर है यह विचारणीय विषय है। कुछ वर्ष पूर्व तक डकैती को बलात्कार की तुलना मे अधिक दण्डनीय माना गया । पिछले दो तीन वर्षो से महिला सशक्तिकरण के नाम पर कानूनो मे एक पक्षीय बदलाव करके बलात्कार को अधिकतम दण्ड योग्य बनाया जा रहा है।

कुछ पांच प्रकार के कार्य ही अपराध होते है। 1 चोरी डकैती 2 बलात्कार 3 मिलावट कमतौल 4 जालसाजी धोखाधडी 5 हिंसा और बल प्रयोग। अपराधी दो प्रकार के होते है। 1 भावना प्रधान 2 बुद्धि प्रधान । भावना प्रधान अपराधियों के सुधरने की बहुत संभावना होती है जबकि बुद्धि प्रधान अपराधी बहुत शातिर होते है। आपराधिक भावनाएं पांच प्रकार की होती है। काम क्रोध लोभ मोह मद। इनमे से काम क्रोध मोह मद की भावना से प्रभावित व्यक्ति को अंधा कहा जाता है जबकि लोभ लालच वाले को अन्धा नही कहा जाता। इन सब प्रश्नो पर विचार के बाद ही डकैती और बलात्कार की गंभीरता का निर्णय संभव है। महिला सशक्तिकरण के नारे से प्रभावित होकर यदि निष्कर्ष निकला तो यह गंभीर भूल होगी।

अनेक देशो मे इस निंदा कानून प्रचलित है। धर्म ग्रन्थ का अपमान बहुत गंभीर अपराध मानने लगे है । आदिवासी का अपमान भी इसी तरह गंभीर बन रहा है। यदि आप इस प्रवृत्ति से चिंन्तित न हो तो मुझे कुछ नही कहना अन्यथा

भावनात्मक तथा बुद्धि प्रधान योजना के अपराधो का वर्गीकरण करना चाहिये। कामान्ध व्यक्ति का अपराध और योजना बनाकर की गई डकैती को एक तराजू पर तौलना ठीक नही।

कई मित्रो ने मेरे विचारो का विरोध किया। मुझे खुशी हुई। कई मित्रो ने मेरे विचारो की अपेक्षा मेरा विरोध किया । ऐसे यावनात्मक रूप से बीमार लोग क्षमा के पात्र है।

ज्ञान यज्ञ

आज संपूर्ण विश्व और विशेष रूप से भारत का आकलन करें तो

1 भौतिक उन्नति बहुत हो रही है तथा नैतिक पतन भी उतनी ही तीव्र गति से हो रहा है।

2 शिक्षा बढ रही है और ज्ञान घट रहा है।

3 वर्ग विद्वेष बढ रहा है और वर्ग समन्वय घट रहा है।

4 प्रत्येक व्यक्ति का हिंसा के प्रति विश्वास बढ रहा है और सहजीवन के प्रति घट रहा है।

5 परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था कमजोर हो रही है और राज्य का हस्तक्षेप बढ रहा है कारणो पर रिसर्च किया तो पाया गया कि भारत का

1 प्रत्येक व्यक्ति भावना या बुद्धि के बीच समन्वय के अभाव के कारण या तो वह भावना प्रधान होकर शराफत की ओर बढ जाता है या बुद्धि प्रधान होकर चालाक बन जाता है। हर शरीफ व्यक्ति त्याग की दिशा मे बढ रहा है और हर चालाक संग्रह की दिशा मे । नई पीढी अधिक तेजी से चालाक होने का प्रयास कर रही है।

2 प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संगठन के साथ जुडकर गिरोह के रूप मे सक्रिय हो जाता है। परिणाम स्वरूप विपरीत विचारो के लोगो के बीच टकराव बढ रहा है।

3 प्रत्येक संगठन अपने सदस्यो मे श्रद्धा के प्रति विश्वास बढाता है और तर्क से विमुख करता है।

4 प्रत्येक व्यक्ति विचार मंथन से दूरी बना रहा है और विचार प्रचार से प्रभावित हो रहा है। अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं सत्य के समान स्थापित हो रही हैं।

रामानुजगंज के नागरिको ने बासठ वर्षो से धीरे धीरे ज्ञान यज्ञ प्रणाली पर प्रयोग किया। ज्ञान यज्ञ के पूरे कार्यक्रम मे पूरे समय के छठवे भाग मे यज्ञ या अन्य किसी भी पद्धति से श्रद्धापूर्ण भावनात्मक पूजा की गई। अंतिम छठवें भाग मे प्रार्थना तथा प्रसाद वितरण का कार्य हुआ। समय के बीच के पूरे समय किसी एक पूर्ण घोषित विषय पर स्वतंत्र विचार मंथन हुआ। पक्ष विपक्ष की स्वतंत्र चर्चा को प्रोत्साहित किया गया जिससे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी तर्क शक्ति जागृत हो। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रख सके तथा विरोधी विचारो को सहने की शक्ति विकसित करे।

परिणाम दिखा कि

प्रत्येक व्यक्ति मे समझदारी विकसित हुई। किसी को आसानी से ठगना कठिन हुआ।

2 समाज मे वर्ग समन्वय तथा सहजीवन बढा।

3 सामाजिक एकता मजबूत हुई तथा राज्य एंव समाज के बीच दूरी घटी।

अब पूरे भारत मे धीरे धीरे ज्ञान यज्ञ का विस्तार हो रहा है। ज्ञान यज्ञ परिवार इसके विस्तार का मार्ग दर्शन कर रहा है इसके लिये

1 आप दो लोग भी मिलकर कभी भी ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं।

2 आप बडे रूप में कम से कम वर्ष मे एक बार ज्ञान यज्ञ करें।

3 आप ज्ञान यज्ञ परिवार से जुडें। इसके लिये आपको निश्चय करना है कि आप कम से कम वर्ष मे एक बार कही भी स्वयं ज्ञान यज्ञ करेंगे या ज्ञान यज्ञ मे सम्मिलित होंगे।

ज्ञान यज्ञ स्वयं मे किसी समस्या का समाधान नहीं है किन्तु यह सब प्रकार की समस्याओ के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। आशा है कि आप ज्ञान यज्ञ परिवार से जुडकर समस्याओ के समाधान मे सहायक होंगे।

ब्रांच आफिस कौशाम्बि दिल्ली अम्युदय द्विवेदी– 9302811720 टीकाराम– **8826290511**	आपका बजरंग मुनि मो. न.–9617079344 मुख्य कार्यालय बनारस चौक अम्बिकापुर सरगुजा छ0ग0